कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/2015/ दिनांक 11.01.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय :– शाला दर्पण में विद्यालय स्तरीय कतिपय त्रुटियों के संबंध में।

आज दिनांक 11.01.2016 से शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के पश्चात विद्यालयों में पुनः शैक्षणिक कार्य प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न स्तरों पर शाला दर्पण के संबंध में शीतकालीन अवकाश के दौरान त्रुटि सुधार के संबंध में की गई कार्यवाही के पश्चात भी निम्नांकित त्रुटियो की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है :–

01. विद्यालय में किसी भी स्तर पर कार्मिक के पदस्थापन में परिवर्तन होता है तो संबंधित संस्था प्रधान का लॉगिन आईडी अपडेट करते हुए नवीन संस्था प्रधान को अवगत कराना तथा अन्य कार्मिकों के संबंध में उनकी प्रविष्टी प्रपत्र–3ए में अपडेट सुनिश्चित करें।
02. प्रपत्र–1 में शाला प्रधान द्वारा फीड की गई विद्यालय श्रेणी सही फीड नहीं की गई। उदाहरण के लिए प्रपत्र–1 में उच्च माध्यमिक स्तर प्रदर्शित है, जबकि वास्तविक रूप से वह माध्यमिक विद्यालय है। इस सूचना को आप विद्यालय में संचालित न्यूनतम व उच्चतम कक्षाओं से मिलान करके, शाला प्रधान सही कर सकते है।
03. प्रपत्र–2 में विद्यालय में कक्षाओं के लिए उपयोग में लिये जा रहे कक्षा–कक्षों की संख्या की जांच कर आवश्यक रूप से करें क्योंकि एडमिन मेन्यू जिलेवार त्रुटि रिपोर्ट में सभी जिलों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी इस बिन्दु को विशेष रूप से मॉनिटर करें।
04. प्रपत्र–2 में विद्यालय में संचालित सह शैक्षणिक गतिविधियों यथा स्काउट/ईको क्लब/एन.एस.एस./एन.सी.सी. की आवश्यक रूप से जांच करें, चूँकि इन सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कियान्विति एवं नियोजन के संबंध में उपयोग किया जाता है।
05. प्रपत्र–3ए में कतिपय अध्यापकों के द्वारा अपने विषय का (जिसमें चयन उपरांत नियुक्ति हुई है) सही उल्लेख नहीं किया है।
06. यह भी ध्यान में आया है कि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)/वरिष्ठ अध्यापक विषय में वर्ष 15–16 में आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति बैठकों के माध्यम से चयनित अभ्यार्थियों ने पदोन्नति पद पर पदस्थापन आदेश जारी किए बिना ही प्रपत्र–3ए में वर्तमान धारित पद को संशोधित कर दिया है, जो आपत्तिजनक/संशोधन योग्य है। सभी संस्था प्रधान अविलम्ब ऐसी प्रविष्टियाँ सही करवायें।
07. प्रपत्र–3बी में इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कार्यरत कार्मिकों का विवरण फीड नहीं किया गया है। इस संबंध में संस्था प्रधान ही उत्तरदायी होंगे तथा भविष्य में संबंधित कार्मिकों/वेतन भत्ते आदि प्राप्त नहीं हो सकेगे।
08. जिन कार्मिकों द्वारा यह सूचना संस्था प्रधानों को उपलब्ध नहीं कराई है, संस्था प्रधान उन कार्मिकों की सूची अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित उपनिदेशक को दिनांक 14.01.2016 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देवे।

09. कतिपय विद्यालयों में प्रवेश किये गये विद्यार्थियों की कुल संख्या (प्रपत्र–4) एवं नामवार बच्चों की प्रविष्टी (प्रपत्र–5) में मिलान नहीं हो रहा है। संस्था प्रधान अविलम्ब ध्यान देवें।

10. प्रपत्र–6 में कतिपय विद्यालयों द्वारा सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी का क्रमोन्नत वर्ष नहीं लिखा गया तथा माध्यमिक स्तर पर संचालित की जा रही तृतीय भाषा विषय का इन्द्राज सही नहीं किया गया। साथ ही कक्षा–11 व 12 हेतु संचालित संकाय तथा विषय का भी सही इन्द्राज नहीं किया गया है। संस्था प्रधान अविलम्ब जांच कर सही करें।

11. प्रपत्र–7 में कक्षा–11 व 12 के लिए स्वीकृत व संचालित संकाय तथा विषय का विद्यार्थीवार प्रविष्टी नहीं की गई है। इसी प्रकार प्रपत्र–7ए में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी वार तृतीय भाषा विषय की पूर्ण प्रविष्टी नहीं की गई। संस्था प्रधान अविलम्ब प्रविष्टी सुनिश्चित करें।

12. प्रपत्र–8 में चाही कम्प्यूटर व इंटरनेट संबंधित सूचना का मिलान प्रपत्र–1 पर दर्ज की गई इंटरनेट सूचनाओं से नहीं हो रहा है। इसके अभाव में संस्था प्रधान द्वारा कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा पर व्यय की जाने वाली राशि प्रसंगगत हो जावेगी। अतः अविलम्ब ध्यान देवें।

13. SIQE हेतु निर्धारित प्रपत्र में कतिपय विद्यालय द्वारा प्रविष्टिया नहीं की गई, जबकि संस्था प्रधान का प्रथम दायित्व कक्षा 1 से 5 को रूचिकर व प्रभावी तरीके से मॉनिटर करने का है। इसके अभाव में यदि विद्यार्थी का ड्राप आउट होता है तो संस्था प्रधान की सीधी जिम्मेदारी तय की जावेगी।

यह ध्यान में आया है कि जिन संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण की सूचनाओं की फीडिंग स्वयं के स्तर पर न करके साईबर कैफे/ई–मित्र आदि पर करवाई प्रति से हार्ड कॉपी का मिलान/जांच संस्था प्रधान द्वारा नहीं किया गया है, मिलान से त्रुटियां आसानी से दुरूस्त हो सकती है।

अतः संस्था प्रधानों को निर्देश दिये जाते है कि 14 जनवरी 2016 तक फीड की गई सूचनाओं का हार्ड कॉपी से मिलान तथा विद्यालयों को आवंटित पद व विषय की सूचना आवश्यक रूप से जांच करें। यदि दिनांक 14 जनवरी 2016 के बाद कोई त्रुटि किसी भी स्तर से होती है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11/1·2016

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

02. समस्त संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित निर्देशों की दिनांक 14.01.2016 तक अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

03. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

04. वित्तिय सलाहकार/प्रभारी शैक्षिक प्रकोष्ठ, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।

11/1·2016

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर